


269

145

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्ड पीठ

रीवा जिला रीवा (म0प्र0)

R. 2464-घ 1/F3



लल्लू लोधी तनय चुनकावन लोधी उम्र 87 वर्ष, पेशा-कृषि, निवासी ग्राम बदखर तहसील रघु0नगर जिला सतना म0प्र0 बिहारीलाल लोधी तनय चुनकावन लोधी उम्र 65 वर्ष, पेशा-कृषि, निवासी ग्राम बदखर तहसील रघु0नगर जिला सतना (म0प्र0)-----निगराकारगण

बनाम

- 3. रामसिया गड़रिया तनय चक्रुमा गड़रिया
- सुदीन गड़रिया, तनय चक्रुमा गड़रिया
- 4. ईश्वरदीन गड़रिया, तनय रामदेव गड़रिया
- 5. भगवानदीन गड़रिया तनय रामदेव गड़रिया
- 6. भनीलाल गड़रिया, तनय रामदेव गड़रिया
- 7. बृजलाल गड़रिया तनय चैता गड़रिया
- सभी निवासी ग्राम बदखर तहसील रघु0नगर जिला सतना (म0प्र0)
- 8. सुखभगत सुखकली पत्नी स्व. लालचरण शर्मा निवासी ग्राम बदखर जिला सतना (म0प्र0) द्वारा हल्का पटवारी मौजा बदखर जिला सतना (म0प्र0)-----गैर निगराकारगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील रघु0नगर जिला सतना म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्रमांक-190ए12/11-12 आदेश दिनांक 20/7/12 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0 रा0सं0-1959

मान्यवर,

निगराकार/आवेदक द्वारा निम्न विनाय पर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है :-

01. यह कि निगराकार/आवेदक ने जिस आदेश से दुखित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की है, उसके संक्षिप्त में वाक्यात इस

Conti.....2

1 (अ) - श्रीमती इन्दी बाई पत्नी स्व० लल्लू लोखी

(क) - त्रिवेणी प्रसाद पुत्र स्व० लल्लू लोखी

(ख) - राजकुमार लोखी पुत्र स्व० लल्लू लोखी

(ग) - सरोज कुमारी पुत्री स्व० लल्लू लोखी

(घ) - किरण पुत्री स्व० लल्लू लोखी

(च) - गीता देवी पुत्री स्व० लल्लू लोखी

(ज) - संगीता देवी पुत्री स्व० लल्लू लोखी

(झ) - सुनीता देवी पुत्री स्व० लल्लू लोखी

सर्वा निवासी ग्राम - बदखर, तहसी - रघुराजमगर

जिला - सतना (म.प्र.)

145

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक.....R.2464-71/13..... जिला.....सतना.....

.....लक्ष्मी अर्ज विरुद्ध शर्मिष्ठा गडरिया अर्ज

1	2	3
164-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री.....सत्या श्रीवास्तव.....अधिवक्ता द्वारा यह मयब तहसीलदार तहसील.....शुशुजनगर.....के प्रकरण क्रमांक.....19.07.12/2011-12.....में पारित आदेश दिनांक.....20.07.12.....के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर.....सतना.....के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक22.03.19.....को कलेक्टर.....सतना.....के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	<p>सदस्य</p>